राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 19.06.2020

<u>आदेश</u>

राज्य में कोविड–19 संक्रमण से हुई मृत्युओं की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि अधिकांश मृतक हाई रिस्क ग्रुप श्रेणी के थे। प्रदेश में इस संक्रमण से होने वाली मृत्युओं की संख्या को न्यूनतम रखे जाने व इस संक्रमण से ग्रस्त रोगियों के जीवन को बचाने हेतु यह आवश्यक है कि संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में ही हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों की पहचान करके उनका समय रहते प्राथमिकता के आधार पर समुचित इलाज किया जावे। **इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मिशन लिसा एप के माध्यम से राज्य के समस्त जिलों में दिनांक 21 जून से 29 जून तक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के दौरान सभी परिवारों का सर्वे करवाते हुए हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके समुचित उपचार की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है।**

जिन क्षेत्रों में सर्वे किया जाए उन क्षेत्रों में स्वयं सेवकों की पहचान कर उनको प्रेरित किया जाए कि वे हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों से प्रतिदिन संपर्क करें तथा यदि किसी हाई रिस्क ग्रुप में कॉविड 19 के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी चिकित्सालय में जांच एवं आवश्यक उपचार करवायें। सम्बंधित क्षेत्र के स्वयं सेवकों की सूची उनके मोबाइल नंबर तथा पते की विस्तृत सूचना आशा, एएनएम एवम चिकित्सा अधिकारी के पास संकलित की जाए तथा घर घर विजिट के दौरान स्वयं सेवकों (वालंटियर) का नाम क्षेत्र के निवासियों को बताया जावे और संभव हो तो घर–घर भ्रमण के दौरान उन्हें भी साथ लेकर जावे।

इस हेतु सेक्टर चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र की आशा, एएनएम एवं स्वयं सेवकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिलवाया जावे और मिशन लिसा एप को गूगल प्ले स्टोर से डाऊनलोड करवाकर प्रशिक्षण उपरान्त सर्वे करवाया जाए। प्रतिदिन हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों का फॉलो अप करने के लिए स्वयं सेवकों को प्रेरित किया जावे।

यद्यपि यह बहुत ही साधारण व सरल मोबाईल सर्वे एप्लीकेशन है फिर भी इस बाबत राज्य स्तर से विडियो कॉन्फ्रेंसिग (VC) के माध्यम से जिला व ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण (ToTs) दिलवाया जावे।

संलग्न : मिशन लीसा एप की एसओपी

19/06/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर, राज.
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
8. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.

19.6.2020
(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

पहला सुख निरोगी काया

लिसा एप के माध्यम से कोविड-19 की सर्वे व स्क्रीनिंग

हेतु

मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs)

चिकित्सा, स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण विभाग

राजस्थान सरकार

जून 2020, संस्करण-1

तकनीकी सहयोग प्रदाता

KhushiBaby

This page is left blank intenstionally

विषय-सूची

1. मिशन लिसा (लाइफ सेविंग)---------- 1
2. मिशन लिसा मोबाइल एप्लीकेशन (लिसा एप)---------- 1
मिशन लिसा फ़्लो चार्ट ---------- 2
3. मिशन लिसा सर्वेक्षण व स्क्रीनिंग की प्रक्रिया ---------- 3
3.1. सर्वेक्षण पूर्व प्रक्रियाएं---------- 3
3.1.1. राज्य स्तर---------- 3
3.1.2. जिला स्तर---------- 3
3.1.3. ब्लॉक स्तर ---------- 4
3.1.4. सेक्टर / कंटेनमेंट जोन स्तर---------- 5
3.2. सर्वेक्षण दौरान प्रक्रियाएं ---------- 7
3.2.1. राज्य स्तर---------- 7
3.2.2. जिला स्तर---------- 7
3.2.3. सेक्टर/ कंटेनेमेन्ट जोन/ब्लॉक स्तर ---------- 8
3.3. सर्वेक्षण पश्चात प्रक्रियाएं---------- 9
3.3.1. राज्य स्तर---------- 9
3.3.2. जिला स्तर---------- 10
3.3.3. सेक्टर/कंटेनेमेन्ट जोन/ब्लॉक स्तर---------- 11
अनुलग्नक 1 : मिशन लिसा मोबाईल एप सर्वेक्षण मार्गदर्शिका
अनुलग्नक 2 : मिशन लिसा के तहत कन्टेनमेंट जोन में सर्वे किए गए लोगों की लाइन लिस्ट का प्रारूप

This page is left blank intenstionally

परिचय

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को महामारी घोषित किया जा चुका है। इससे उत्पन्न हुई स्थिति के परिपेक्ष्य में कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव, रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने तथा इसके संक्रमण से होने वाली मृत्युओं को न्यूनतम किए जाने हेतु व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है तथा राज्य में इस संक्रमण से कुछ मृत्यु भी हुई हैं। अब तक राज्य में कोविड-19 संक्रमण से हुई मृत्युओं की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि अधिकांश मृतक हाई रिस्क ग्रुप (HRG) श्रेणी के थे। प्रदेश में इस संक्रमण से होने वाली मृत्युओं की संख्या को न्यूनतम रखे जाने व इस संक्रमण से ग्रस्त रोगियों के जीवन को बचाने हेतु यह आवश्यक है कि संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में ही हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों की पहचान कर उनका समय रहते प्राथमिकता के आधार पर समुचित इलाज किया जावे।

इस क्रम में कंटेनमेंट जोन में ICMR की गाइडलाइन के अनुसार की जा रही जांच को पूर्व की भांति यथावत जारी रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या/मृत्युदर को न्यूनतम रखने, संक्रमण से ग्रस्त रोगियों व हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों के जीवन को बचाने हेतु मिशन लाइफ सेविंग (Mission LISA) प्रारंभ किया गया है। यह मिशन राज्य भर के सभी जिलों में जिला कलेक्टरों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देशन में संचालित किया जाएगा।

कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या को न्यूनतम रखने, संक्रमण से ग्रस्त रोगियों व हाई रिस्क व्यक्तियों के जीवन को बचाने हेतु **मिशन लिसा** के अंतर्गत मुख्यतः 8 गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं। मिशन के तहत निर्धारित गतिविधियों में से समुदाय स्तर पर सर्वे करने, हाई रिस्क ग्रुप की स्क्रीनिंग करने, व फॉलो-अप करने के उद्देश्य से निरोगी राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। राज्य भर में कोविड-19 के लिए हाई रिस्क ग्रुप की पहचान, सर्वे व स्क्रीनिंग करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के तहत, चिकित्सा, स्वास्थ्य व प.क. विभाग, राजस्थान सरकार ने खुशी बेबी संस्थान के सहयोग से "मिशन लिसा मोबाइल एप्लीकेशन (LISA App)" विकसित किया है। प्रस्तुत डॉक्यूमेंट में इस मोबाईल एप के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य के कंटेनमेंट क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले सर्वे व स्क्रीनिंग की आरंभ से लेकर अंत तक की प्रक्रियाओं के मानक संचालन (SOPs) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है जो संचालन अधिकारियों, सुपरवाइज़र, व उपयोगकर्ताओं के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगी।

This page is left blank intenstionally

1. मिशन लिसा (लाइफ सेविंग)

मिशन लिसा (Mission Life Saving) राजस्थान सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा आरंभ किया गया एक मिशन है जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण राज्य में कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त रोगियों व हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों के जीवन को बचाते हुए इस संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या/मृत्युदर को न्यूनतम रखना है। यह मिशन राज्य भर के सभी जिलों में जिला कलेक्टरों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देशन में संचालित किया जाएगा।

कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या को न्यूनतम रखने, संक्रमण से ग्रस्त रोगियों व हाई रिस्क व्यक्तियों के जीवन को बचाने हेतु **मिशन लिसा** के अंतर्गत मुख्यतः 8 गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं, जिनमें शामिल हैं हाई रिस्क ग्रुप की पहचान, हाई रिस्क ग्रुप की सूची तैयार करना, कन्टेनमेंट जोन में सर्वे व स्क्रीनिंग, हाई रिस्क व्यक्तियों की पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा SPO2 एवं श्वसन दर की जाँच करवाना, आवश्यकता अनुसार कोविड-19 के चिकित्सा दल द्वारा जाँच करना व भर्ती किया जाना, कोविड-19 डेडिकेटेड एम्बुलेंस व्यवस्था सुगम करना, कोविड-19 के संबंध में लोगों को जागरुक रखने व सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न माध्यमों से IEC गतिविधियाँ संचालित करना, इन सभी गतिविधियों का संकलन, रिकॉर्डिंग व रिपोर्टिंग करना।

2. मिशन लिसा मोबाइल एप्लीकेशन (लिसा एप)

मिशन लिसा के तहत निर्धारित गतिविधियों में से कन्टेनमेंट क्षेत्रों में सर्वे करवाकर हाई रिस्क ग्रुप की स्क्रीनिंग करने, व उनका फॉलो-अप करने के उद्देश्य से निरोगी राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। राज्य भर में कोविड-19 के लिए हाई रिस्क ग्रुप की पहचान, सर्वे व स्क्रीनिंग करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के तहत, चिकित्सा, स्वास्थ्य व प.क. विभाग, राजस्थान सरकार ने खुशी बेबी संस्थान के सहयोग से **"मिशन लिसा मोबाइल एप्लीकेशन"** विकसित किया है जिसे **"लिसा एप"** के नाम से जाना जाता है। यह एप एंड्रॉईड बेस्ड स्मार्ट फोन पर कार्य करेगा जिसकी स्क्रीन का साइज़ 5 इंच या उससे अधिक हो। एप पर सर्वे ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। अर्थात, सर्वे करते समय इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, हालांकि जब भी उपयोगकर्ता इस पर रजिस्टर करेंगे व सर्वे करने के बाद डाटा को सिंक करेंगे (सर्वर पर भेजेंगे), उस समय इंटरनेट की जरूरत होगी।

लिसा एप के माध्यम से कोविड-19 को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रमुख कार्य संपादित किए जाएंगे :

1. कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन्स में हाई रिस्क ग्रुप की पहचान व सर्वे करना
2. हाई रिस्क ग्रुप की स्क्रीनिंग करना
3. स्क्रीनिंग में पहचाने गए कोविड-19 संदिग्ध मामलों को रेफर करना व उचित सलाह/ईलाज प्रदान करने में सहायता करना।
4. हाई रिस्क ग्रुप का फॉलो-अप करना
5. वॉइस कॉल व IVRS कॉल के माध्यम से कोविड-19 के संबंध में जागरूकता प्रदान करना
6. कोविड-19- कंटेनमेंट क्षेत्रों में सर्वे व स्क्रीनिंग के वैध आँकड़े उपलब्ध करवाना, जिनका उपयोग संक्रमण की रोकथाम हेतु उचित नीति बनाने हेतु किया जा सकता है।

मिशन लिसा फ़्लो चार्ट

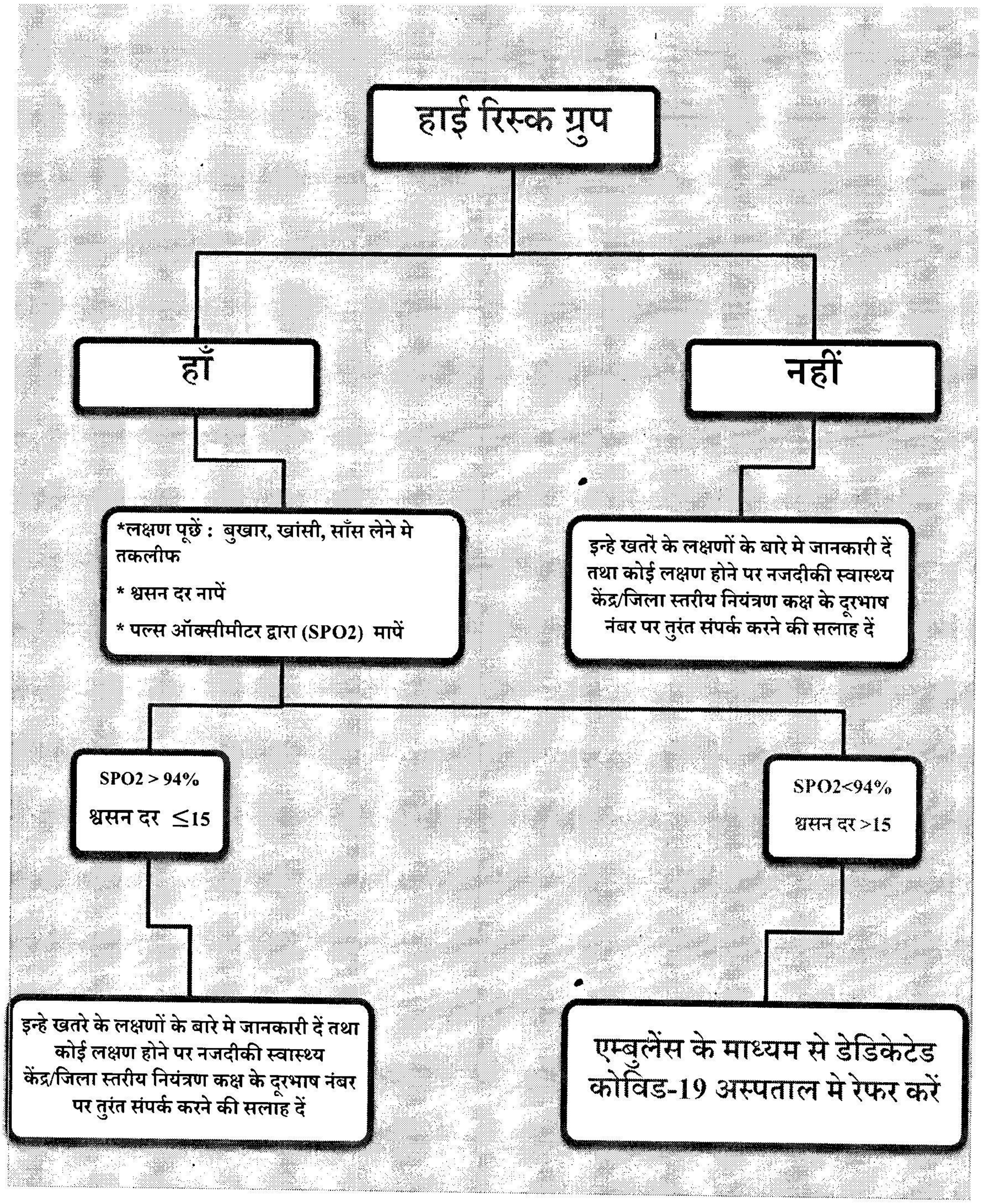
हाई रिस्क ग्रुप
हाँ
नहीं
*लक्षण पूछें : बुखार, खांसी, साँस लेने मे तकलीफ
* श्वसन दर नापें
* पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा (SPO2) मापें
इन्हे खतरे के लक्षणों के बारे मे जानकारी दें तथा कोई लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र/जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर तुरंत संपर्क करने की सलाह दें
SPO2 > 94%
श्वसन दर ≤15
SPO2<94%
श्वसन दर >15
इन्हे खतरे के लक्षणों के बारे मे जानकारी दें तथा कोई लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र/जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर तुरंत संपर्क करने की सलाह दें
एम्बुलेंस के माध्यम से डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल मे रेफर करें

हाई रिस्क ग्रुप : मिशन लिसा के तहत कंटेनमेंट क्षेत्रों में निवास करने वाले निम्नलिखित समूहों को हाई रिस्क ग्रुप माना गया है:

1. 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति
2. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे
3. गर्भवती महिलाएं
4. किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, अस्थमा/सीओपीडी, कैंसर रोगी, किडनी संबंधित रोगों से पीड़ित, टी.बी. या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति
5. पिछले 15 दिनों में दूरस्थ यात्रा करने वाले व्यक्ति
6. कोविड-19 में सेवाएं प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कर्मी या अन्य सेवा प्रदाता
7. त्वरित रूप से लोगों के संपर्क में आने वाले विक्रेता
8. कोविड-19 संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति

3. मिशन लिसा सर्वेक्षण व स्क्रीनिंग की प्रक्रिया

मिशन लिसा के तहत राजस्थान राज्य के सभी पहचाने गए कोविड-19 कंटेनमेंट क्षेत्रों में हाई रिस्क ग्रुप की पहचान करते हुए, सर्वे व स्क्रीनिंग किया जाना है। इस सर्वे व स्क्रीनिंग प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए कुछ मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं जिन्हें तीन स्तरों में बांटा गया है, सर्वेक्षण पूर्व, सर्वेक्षण-दौरान व सर्वेक्षण पश्चात:

3.1. सर्वेक्षण पूर्व प्रक्रियाएं

3.1.1. राज्य स्तर

क्रं सँ.	प्रक्रिया	जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति
1.	PHC क्षेत्रों के लिए गुप्त कोड (secret key) निर्धारित करना व जिला स्तर पर अग्रेषित करना	DoMHFW, TSP-KB
2.	सभी संबंधित जिलों को प्रशिक्षण व सर्वेक्षण सामग्री भेजना (जैसे SOPs, सर्वे मार्गदर्शिका, डेमो विडियों इत्यादि)	DoMHFW, TSP-KB
3.	"लिसा एप" को गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करना व प्रत्येक जिला नोडल अधिकारी को इस बारे में सूचित करना	DOIT, TSP-KB
4.	आवश्यकता अनुसार "लिसा एप" अपडेट करते रहना व प्रत्येक जिला नोडल अधिकारी को इस बारे में सूचित करते रहना	DOIT, TSP-KB
5.	लिसा एप के माध्यम से राज्य भर के PHC क्षेत्रों में सर्वे व स्क्रीनिंग करवाने हेतु राज्य व जिला स्तरीय अधिकारियों का ओरिएंटेशन सह प्रशिक्षण प्रदान करना : विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से	DoMHFW, TSP-KB

3.1.2. जिला स्तर

क्रं सँ.	प्रक्रिया	जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति

1.	राज्य स्तर पर अपने जिले के कंटेनमेंट क्षेत्रों की अपडेटड सूची भेजना (व जब भी कोई बदलाव हो उसे तुरंत प्रभाव से साथ अद्यतन करना)	जिला नोडल अधिकारी
2.	जिला सुनिश्चित करे कि उन्होंने मिशन लिसा सर्वे-स्क्रीनिंग के आयोजन से संबंधित सभी आवश्यक विषय सामग्री (material) राज्य से प्राप्त कर लिए हैं (जैसे SOPs, सर्वे मार्गदर्शिका, डेमो विडियो, इत्यादि)	जिला नोडल अधिकारी
3.	अपने जिले के कंटेनमेंट क्षेत्रों के गुप्त कोड (secret key) राज्य (DoMHFW, TSP-KB) से प्राप्त करना और संबंधित ब्लॉक/सेक्टर स्तर पर उन्हे वितरित करना	जिला नोडल अधिकारी
4.	राज्य स्तर से ओरिएंटेशन सह प्रशिक्षण (VC) प्राप्त करने के लिए जिला/राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को मनोनीत करना व इस VC में भाग लेने की व्यवस्था करना • जिला नोडल अधिकारी - प्राथमिकत: Deputy CMHO/ CMHO • ब्लॉक नोडल अधिकारी - प्राथमिकत: BCMO **नोट:** मास्टर प्रशिक्षक व नोडल अधिकारी एक ही व्यक्ति हो सकता है या दो अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, जैसा भी जिले द्वारा सुविधानुसार निर्धारित किया जाए प्रत्येक जिले द्वारा ओरीएन्टेशन सह प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूचना नीचे दिए गए निर्धारित प्रपत्र में भरकर व्हाट्स एप/ईमेल आईडी के माध्यम से राज्य को प्रस्तुत की जाए, जिससे भविष्य में राज्य द्वारा फॉलोअप करने और तकनीकी सहयोग प्रदान करने में आसानी होगी : **क्र. स.** | **जिला** | **अधिकारी का नाम** | **पद** | **मोबाइल नं.** | **ईमेल आईडी**	जिला नोडल अधिकारी
5.	राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन सह प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात जिले द्वारा ब्लॉक व सेक्टर स्तर के मास्टर प्रशिक्षक व नोडल अधिकारियों को अपने स्तर पर प्रशिक्षण (ToT) प्रदान किया जाए • मास्टर प्रशिक्षक (ब्लॉक स्तर से) – प्रत्येक ब्लॉक से कम से कम -1 • सेक्टर/कंटेनमेंट जोन नोडल अधिकारी सह मास्टर प्रशिक्षक (प्रथमिकत: MOIC) – प्रत्येक सेक्टर/ कंटेनमेंट जोन से कम से कम-1 ➢ ब्लॉक व सेक्टर/ कंटेनमेंट जोन स्तर पर मास्टर प्रशिक्षक व नोडल अधिकारी एक ही व्यक्ति हो सकता है या दो अलग-अलग व्यक्ति हो सकते हैं, जैसा भी जिला व ब्लॉक द्वारा सुविधानुसार निर्धारित किया जाए ➢ यह ToT राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन सह प्रशिक्षण होने के पश्चात जितनी जल्दी हो सके, तुरंत आयोजित किए जाने चाहियें (जहाँ तक संभव हो एक दिन के अंदर) ➢ जिले द्वारा यह प्रशिक्षण ब्लॉक व सेक्टर स्तर के अधिकारियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है ➢ ToT का प्लान राज्य स्तर पर शेयर करें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा सके। **लिसा एप उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका अनुलग्नक -1 में दी गई है।**	जिला नोडल अधिकारी / ब्लॉक नोडल अधिकारी / जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक
6.	रेफरल इकाइयों को चिन्हित करना व सभी कंटेनमेंट क्षेत्र-नोडल अधिकारियों को इन रेफरल इकाइयों की सूची भेजना जहाँ लाभार्थियों को रेफर किया जा सके।	जिला नोडल अधिकारी

3.1.3. ब्लॉक स्तर

क्रं सँ.	प्रक्रिया	जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति

1.	जिला स्तर पर अपने ब्लॉक के कंटेनमेंट क्षेत्रों की अपडेटड सूची भेजना (व जब भी कोई बदलाव हो उसे तुरंत प्रभाव के साथ अद्यतन करना)	ब्लॉक नोडल अधिकारी (BCMO)
2.	अपने ब्लॉक के कंटेनमेंट क्षेत्रों के गुप्त कोड (secret key) जिले से प्राप्त करना और संबंधित सेक्टर नोडल / कंटेनमेंट क्षेत्रों के अधिकारियों को उन्हे वितरित करना	ब्लॉक नोडल अधिकारी (BCMO)
3.	मिशन लिसा सर्वेक्षण के लिए कंटेनमेंट जोन में पहले से सर्वे (पेपर सर्वे/कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) कर रहे टीम के सदस्यों को ही मनोनीत किया जा सकता है **हालांकि आदर्श रूप से कंटेनमेंट जोन के लिए टीम की संरचना इस प्रकार हो सकती है:** • स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा/ANM/AWW) : प्रत्येक 100 घरों के लिए कम से कम 2 • अन्य (BLO/स्वयं सेवी/ राजनैतिक प्रतिनिधी/ एनजीओ प्रतिनिधी): प्रत्येक 20 घरों पर कम से कम एक	ब्लॉक नोडल अधिकारी (BCMO)
4.	चिन्हित रेफरल इकाइयों की सूची जिले से प्राप्त करना व सुनिश्चित करना कि सभी कंटेनमेंट क्षेत्र-नोडल अधिकारियों को इन रेफरल इकाइयों की सूची भेजी जा चुकी है	ब्लॉक नोडल अधिकारी (BCMO)

3.1.4. सेक्टर / कंटेनमेंट जोन स्तर

क्र सं.	प्रक्रिया	जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति
1.	जिले व ब्लॉक से प्राप्त गाइड्लाइन के अनुसार मनोनीत सेक्टर/कंटेनमेंट क्षेत्र स्तरीय अधिकारी (प्रथमिकत: MOIC) द्वारा निर्धारित स्थान (ब्लॉक/जिला) पर पहुँच कर मास्टर प्रशिक्षण (ToT) प्राप्त करना	सेक्टर/कंटेनमेंट जोन नोडल अधिकारी (MOIC)
2.	मिशन लिसा सर्वेक्षण के लिए कंटेनमेंट जोन में पहले से सर्वे (पेपर सर्वे/कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) कर रहे टीम के सदस्यों को ही मनोनीत किया जा सकता है **हालांकि आदर्श रूप से कंटेनमेंट जोन के लिए टीम की संरचना इस प्रकार हो सकती है:** • स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा/ANM/AWW) : प्रत्येक 100 घरों के लिए कम से कम 2 • अन्य (BLO/स्वयं सेवी/ राजनैतिक प्रतिनिधी/ एनजीओ प्रतिनिधी): प्रत्येक 20 घरों पर कम से कम एक **नोट :** • सेक्टर/कंटेनमेंट अधिकारी कुछ अतिरिक्त व्यक्तियों को या समान स्तर के भिन्न पद के व्यक्तियों (जैसे MPW, PHS, अध्यापक आदि) को भी अपने सेक्टर/कंटेनमेंट जोन की परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षण लेने के लिए मनोनीत कर सकते हैं, उन्हें बफर सर्वेक्षकों के रूप में रखा जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता ली जा सकती है।	सेक्टर/कंटेनमेंट जोन नोडल अधिकारी (MOIC)

<table>
<tr><th>क्रं सँ.</th><th>प्रक्रिया</th><th>जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति</th></tr>
<tr><td></td><td>• प्रमुख सर्वेक्षकों के अतिरिक्त, "अन्य" व्यक्तियों को फॉलो-अप (BLO/स्वयं सेवी/ राजनैतिक प्रतिनिधी/ एनजीओ प्रतिनिधी) हेतु सहायता लेने के लिए मनोनीत किया जा सकता है।</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>ब्लॉक के समन्वयन से सर्वेक्षकों व स्वयं सेवियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना व प्रशिक्षण आयोजित करना।
नोट :
• सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण, ToT आयोजित होने के तुरंत बाद जितनी जल्दी संभव हो सकें, आयोजित किए जाने चाहिएँ (यथासंभव ToT के अगले दो दिनों में)
• सर्वेक्षण मार्गदर्शिका (मिशन लिसा मोबाईल एप उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका) अनुलग्नक -1 में दी गई है</td><td>सेक्टर/कंटेनमेंट जोन नोडल अधिकारी (MOIC) / मास्टर प्रशिक्षक</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अपने सेक्टर के कंटेनमेंट क्षेत्रों की सूची और लिसा एप के लीए जोन-वार गुप्त कोड प्राप्त करना- यह आपको अपने ब्लॉक /जिला नोडल अधिकारी से प्राप्त होंगे।</td><td>सेक्टर नोडल अधिकारी (MOIC) / मास्टर प्रशिक्षक</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>प्रशिक्षण पश्चात प्रत्येक कंटेनमेंट जोन के लिए सर्वे टीम निर्धारित करना</td><td>सेक्टर नोडल अधिकारी (MOIC) / मास्टर प्रशिक्षक</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सर्वे के लिए प्रत्येक कंटेनमेंट जोन के लिए मनोनीत की गई प्रत्येक टीम की एक टीम पहचान संख्या (आई.डी.) दें, जिसे सर्वेक्षक को सर्वे करते समय एप में डालना होगा। टीम सदस्यों के नाम के साथ उनके कंटेनमेंट जोन व टीम आई.डी की सूची अपने ब्लॉक/जिले पर भेजें :
टीम आई.डी बनाने के उदाहरण :
<table>
<tr><th>कंटेनमेंट जोन</th><th>टीम</th><th>टीम आई.डी</th></tr>
<tr><td>कंटेनमेंट जोन -ABC</td><td>टीम-1</td><td>001</td></tr>
<tr><td>कंटेनमेंट जोन -ABC</td><td>टीम-2</td><td>002</td></tr>
<tr><td>कंटेनमेंट जोन -ABC</td><td>टीम-3</td><td>003</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>कंटेनमेंट जोन -XYZ</td><td>टीम-1</td><td>001</td></tr>
<tr><td>कंटेनमेंट जोन -XYZ</td><td>टीम-2</td><td>002</td></tr>
<tr><td>कंटेनमेंट जोन -XYZ</td><td>टीम-3</td><td>003</td></tr>
<tr><td>कंटेनमेंट जोन -XYZ</td><td>टीम-4</td><td>004</td></tr>
</table></td><td>सेक्टर नोडल अधिकारी (MOIC) / मास्टर प्रशिक्षक</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>चिन्हित रेफरल इकाइयों की सूची जिले से प्राप्त करना व कंटेनमेंट जोन अनुसार सर्वे टीम को इन रेफरल इकाइयों की सूची वितरित करना जहाँ वे आवश्यकता अनुसार लाभार्थियों को रेफर कर सकते हैं</td><td>सेक्टर नोडल अधिकारी (MOIC) / मास्टर प्रशिक्षक</td></tr>
</table>

3.2. सर्वेक्षण दौरान प्रक्रियाएं

3.2.1. राज्य स्तर

क्रं सँ.	प्रक्रिया	जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति
1.	कंटेनमेंट क्षेत्रों की सूची लिसा मोबाईल एप में अपडेट करते रहें व नए जुड़े कंटेनमेंट क्षेत्रों के लिए गुप्त कोड जनरेट करके संबंधित जिलों पर भेजते रहें।	DoMHFW, TSP-KB
2.	आवश्यकता अनुसार "लिसा एप" अपडेट करते रहना व प्रत्येक जिला नोडल अधिकारी को अपडेट के बारे में सूचित करना	DoMHFW, TSP-KB
3.	सभी जिलों के समन्वयन से सुनिश्चित करें कि राज्य भर के सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में सर्वेक्षण आरंभ किए गए हैं, और जहाँ आरंभ नहीं हो पाएं हैं, कारण पता करें और आवश्यक सहयोग प्रदान करें	DoMHFW, TSP-KB
4.	सर्वेक्षण के दौरान लिसा एप संचालन से संबंधित प्राप्त होने वाली कॉल्स का उचित समाधान प्रदान करना	स्टेट कॉल सेंटर- TSP-KB
5.	निगरानी: • सुनिश्चित करें कि आँकड़े दैनिक आधार पर सिंक किए जा रहे हैं • सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों से आँकड़े सर्वर पर रोजाना आ रहे हैं • जिस जिले/ब्लॉक/कंटेनमेंट जोन से आँकड़े नहीं आ रहे हों/समय पर नहीं आ रहे हों, उसके लिए उचित कदम उठाया जाना चाहिए • सर्वे/आंकड़ों की गुणवत्ता का आंकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार संबंधित जिलों से संपर्क करके सुधारात्मक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें	DoMHFW, DOIT, TSP-KB

3.2.2. जिला स्तर

क्रं सँ.	प्रक्रिया	जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति
1.	कंटेनमेंट क्षेत्रों की अद्यतन सूची राज्य इकाई को भेजते रहें व नए जुड़े कंटेनमेंट क्षेत्रों के लिए गुप्त कोड प्राप्त करते रहें और उन्हे संबंधित नोडल अधिकारी (ब्लॉक/सेक्टर) पर वितरित करें	जिला नोडल अधिकारी
2.	सुनिश्चित करें कि जिले भर के सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में सर्वेक्षण आरंभ किए गए हैं, और जहाँ किसी कारणवश आरंभ नहीं हो पाएं हैं, राज्य इकाई को सूचित करें और आवश्यक सहयोग प्राप्त करें	जिला नोडल अधिकारी
3.	नए कंटेनमेंट क्षेत्रों के लिए सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण करवाएं (पहले के मास्टर प्रशिक्षकों के सहयोग से)	जिला नोडल अधिकारी
4.	सर्वेक्षण की निगरानी: • सुनिश्चित करें कि सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में सर्वे आरंभ किया गया है • नए कंटेनमेंट क्षेत्रों में सर्वे करवाने के लिए सभी उचित कदम उठाए जाएं • सुनिश्चित करें कि सभी टीम सदस्य प्रत्येक सर्वे करने के बाद डाटा सिंक करें	जिला नोडल अधिकारी

क्रं सँ.	प्रक्रिया	जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति
	• राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि किसी ब्लॉक/कंटेनमेंट जोन से आँकड़े नहीं जा रहे हों/समय पर नहीं जा रहे हों, उसके लिए उचित कदम उठाया जाना चाहिए • सर्वे/आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करें	

3.2.3. सेक्टर/ कंटेनेमेन्ट जोन/ब्लॉक स्तर

क्रं सँ.	प्रक्रिया	जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति
1.	सर्वेक्षण के लिए तैयार टीम की क्षेत्रवार सूची, मय टीम कोड, जिले से सांझा करें व इस संबंध में सर्वेक्षण के दौरान होने वाले अपडेट को भी सूचित करते रहें।	ब्लॉक/सेक्टर नोडल अधिकारी (MOIC)
2.	आवश्यकता अनुसार नए टीम सदस्यों का प्रशिक्षण/ओरिएंटेशन सुनिश्चित करें	ब्लॉक/सेक्टर नोडल अधिकारी (MOIC) व मास्टर प्रशिक्षक
3.	सर्वे टीम सदस्य नियमानुसार लिसा एप के माध्यम से कंटेनमेंट क्षेत्रों में सर्वे व स्क्रीनिंग करें : • कंटेनमेंट जोन में निर्धारित टीम सदस्य घर- घर (door to door) सर्वे करेंगे • प्रत्येक घर में हाई रिस्क ग्रुप के बारे में पूछ कर व्यक्तिगत सर्वे व स्क्रीनिंग करेंगे • यदि हाई रिस्क ग्रुप का व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है तो पहले घर के मुखिया का सर्वे अलग से करना होगा **सर्वेक्षण के विस्तृत मार्गदर्शिका (मिशन लिसा मोबाईल एप उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका) अनुलग्नक - 1 में दी गई है**	सर्वे टीम
4.	सर्वेक्षण की निगरानी: • सुनिश्चित करें कि सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में सर्वे आरंभ किया गया है • नए कंटेनमेंट क्षेत्रों में सर्वे करवाने के लिए सभी उचित कदम उठाए जाएं • सुनिश्चित करें कि सभी टीम सदस्य प्रत्येक सर्वे करने के बाद डाटा सिंक करें • जिले से प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि किसी कंटेनमेंट जोन से आँकड़े नहीं जा रहे हों/समय पर नहीं जा रहे हों, उसके लिए उचित कदम उठाया जाना चाहिए • सर्वे/आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करें : कंटेनमेंट जोन में सर्वे के समय रेंडम विज़िट करें	ब्लॉक/सेक्टर नोडल अधिकारी (MOIC)

3.3. सर्वेक्षण पश्चात प्रक्रियाएं

3.3.1. राज्य स्तर

<table>
<tr><th>क्रं सँ.</th><th>प्रक्रिया</th><th>जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>दैनिक आधार पर सुनिश्चित करें की सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों के आँकड़े सर्वर पर आ रहे है</td><td>DoMHFW, DOIT, KB</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दैनिक लाइन लिस्ट व रिपोर्ट (daily and cumulative summary report) स्टेट सेंटर द्वारा तैयार की जाएगी जिसे जिला स्तर पर व अन्य संबंधित अधिकारियों को रोजाना भेजा जाएगा। लाइन लिस्ट व रिपोर्ट का प्रारूप (format) अनुलग्नक 2 में दिया गया है।</td><td>DoMHFW</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>लिसा सर्वे से प्राप्त हाई रिस्क लाभार्थियों की सूची (लाइन लिस्ट) प्रत्येक संबंधित जिले के नोडल अधिकारी (CMHO) को तुरंत उपलब्ध करवाना (दैनिक आधार पर) और आवश्यकता अनुसार फॉलो-अप कॉल व व्यक्तिगत फॉलो-अप सुनिश्चित करना
फॉलो-अप कॉल व व्यक्तिगत फॉलो-अप किए जाने के लिए हाई रिस्क लाभार्थियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
<table>
<tr><td>1.</td><td>सिम्प्टमेटिक व सर्वाधिक जोखिम वाले लाभार्थी (Symptomatic and most vulnerable):
a. असामान्य श्वसन दर व/ या SPO2 माप वाले
b. COVID19 के सिम्प्टम वाले
c. COVID19 रोगी से हाल ही में संपर्क में आए व्यक्ति
d. आयु 2 से कम हो और कुपोषित हो
e. हेल्थ वर्कर (सर्वेक्षक) द्वारा सर्वे के दिन ही रेफर किया जाना सूचित किया जाए (एप में)</td><td>• इनका तुरंत (सर्वे के दिन ही) व्यक्तिगत फॉलो-अप किया जाएगा / आवश्यक सहायता दी जाएगी: नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र द्वारा/मोबाईल वैन द्वारा/घरों के लिए निर्धारित रैपिड रेसपोन्स टीम द्वारा
• 7 दिन तक लगातार कॉल सेंटर से फॉलो-अप कॉल की जाएगी (जिला स्तर से)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पुराने रोगों व दवाओं की जरूरत वाले लाभार्थी (Comorbid and medication refill):
a. एक से अधिक रोग युक्त व दवाओं की पूर्ति चाहने वाले (More than one comorbidity AND need of medication refill)
b. 70 से अधिक आयु व दवाओं की पूर्ति चाहने वाले (Age 70+ AND need of medication refill)
c. टीबी रोगी व दवाओं की पूर्ति चाहने वाले (TB selected AND need of medication refill)</td><td>• इनका 3 दिन के भीतर-भीतर व्यक्तिगत फॉलो-अप किया जाएगा / आवश्यक सहायता दी जाएगी
• 7 दिन के भीतर कॉल सेंटर से फॉलो-अप कॉल की जाएगी (जिला स्तर से)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>देखभाल की आवश्यकता वाले लाभार्थी (groups that need care):
a) गर्भवती महिलायें
b) 70 वर्ष या अधिक आयु वाले
c) 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशु</td><td>• इनका 7 दिन के भीतर-भीतर व्यक्तिगत फॉलो-अप किया जाएगा / आवश्यक सहायता दी जाएगी
• 14 दिन के भीतर कॉल सेंटर से फॉलो-अप कॉल की जाएगी (जिला स्तर से)</td></tr>
</table></td><td>DoMHFW, KB, DOIT-स्टेट कॉल सेंटर</td></tr>
</table>

क्रं सँ.	प्रक्रिया	जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति
4.	आवश्यकता अनुसार "लिसा एप" अपडेट करते रहना व प्रत्येक जिला नोडल अधिकारी को अपडेट के बारे मे सूचित करना	DoMHFW,TSP-KB
5.	फॉलो अप निगरानी: • लाइन लिस्ट व फॉलो-अप के आँकड़े समय पर जिलों को भेजना सुनिश्चित करें	DoMHFW,TSP-KB

3.3.2. जिला स्तर

<table>
<tr><th>क्रं सँ.</th><th>प्रक्रिया</th><th>जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>लिसा सर्वे के आधार पर बनी हाई रिस्क लाभार्थियों की दैनिक सूची राज्य इकाई से प्राप्त करना सुनश्चित करें और उचित कार्यवाही (व्यक्तिगत फॉलो-अप) के लिए ब्लॉक/सेक्टर/ कंटेनमेंट जोन अधिकारी स्तर को अग्रेषित करें</td><td>जिला नोडल अधिकारी</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>निमलिखित सूची अनुसार हाई रिस्क लाभार्थियों को फॉलो-अप कॉल करवाना सुनिश्चित करें
<table>
<tr><td>1.</td><td>सिम्प्टमेटिक व सर्वाधिक जोखिम वाले लाभार्थी (Symptomatic and most vulnerable):
a. असामान्य श्वसन दर व/ या SP02 माप वाले
b. COVID19 के सिम्प्टम वाले
c. COVID19 रोगी से हाल ही में संपर्क में आए व्यक्ति
d. आयु 2 से कम हो और कुपोषित हो
e. हेल्थ वर्कर (सर्वेक्षक) द्वारा सर्वे के दिन ही रेफर किया जाना सूचित किया जाए (एप में)</td><td>7 दिन तक लगातार कॉल सेंटर से फॉलो-अप कॉल की जाएगी (जिला स्तर से)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पूराने रोगों व दवाओं की जरूरत वाले लाभार्थी (Comorbid and medication refill):
a. एक से अधिक रोग युक्त व दवाओं की पूर्ति चाहने वाले (More than one comorbidity AND need of medication refill)
b. 70 से अधिक आयु व दवाओं की पूर्ति चाहने वाले (Age 70+ AND need of medication refill)
c. टीबी रोगी व दवाओं की पूर्ति चाहने वाले (TB selected AND need of medication refill)</td><td>• 7 दिन के भीतर कॉल सेंटर से फॉलो-अप कॉल की जाएगी (जिला स्तर से)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>देखभाल की आवश्यकता वाले लाभार्थी (groups that need care):
a). गर्भवती महिलायें
b) 70 वर्ष या अधिक आयु वाले
c) 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशु</td><td>• 14 दिन के भीतर कॉल सेंटर से फॉलो-अप कॉल की जाएगी (जिला स्तर से)</td></tr>
</table>
</td><td>जिला नोडल अधिकारी</td></tr>
</table>

क्रं सँ.	प्रक्रिया	जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति
3.	फॉलो अप की निगरानी: • आवश्यकता अनुसार सभी हाई रिस्क लाभार्थियों को फॉलो-अप कॉल करवाना सुनिश्चित करें • सुनिश्चित करें कि सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में व्यक्तिगत फॉलो-अप सुचारू रूप से किए जा रहे हैं • उच्च जोखिम वाले / सिम्प्टमेटिक मामलों का रेफरल सुनिश्चित करवाएं • राज्य इकाई से प्राप्त फॉलो-अप आंकड़ों के आधार पर निगरीनी व कार्यवाही सुनश्चित करें	जिला नोडल अधिकारी

3.3.3. सेक्टर/कंटेनेमेन्ट जोन/ब्लॉक स्तर

<table>
<tr><th>क्रं सँ.</th><th>प्रक्रिया</th><th>जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>लिसा सर्वे-स्क्रीनिंग के आधार पर बनी हाई रिस्क लाभार्थियों की दैनिक सूची समय पर प्राप्त करना सुनश्चित करें और आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत फॉलो-अप सुनिश्चित करें</td><td>ब्लॉक/सेक्टर नोडल अधिकारी (MOIC)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>निमलिखित सूची अनुसार हाई रिस्क लाभार्थियों का व्यक्तिगत फॉलो-अप करें :
<table>
<tr><td>1.</td><td>सिम्प्टमेटिक व सर्वाधिक जोखिम वाले लाभार्थी (Symptomatic and most vulnerable):
a. असामान्य श्वसन दर व/ या SP02 माप वाले
b. COVID19 के सिम्प्टम वाले
c. COVID19 रोगी से हाल ही में संपर्क में आए व्यक्ति
d. आयु 2 से कम हो और कुपोषित हो
e. हेल्थ वर्कर (सर्वेक्षक) द्वारा सर्वे के दिन ही रेफर किया जाना सूचित किया जाए (एप में)</td><td>• इनका तुरंत (सर्वे के दिन ही) व्यक्तिगत फॉलो-अप किया जाना/सहायता दिया जाना सुनिश्चित करें: नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र द्वारा/मोबाईल वैन द्वारा/घरों के लिए निर्धारित रैपिड रेसपोन्स टीम द्वारा</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पूराने रोगों व दवाओं की जरूरत वाले लाभार्थी (Comorbid and medication refill):
a. एक से अधिक रोग युक्त व दवाओं की पूर्ति चाहने वाले (More than one comorbidity AND need of medication refill)
b. 70 से अधिक आयु व दवाओं की पूर्ति चाहने वाले (Age 70+ AND need of medication refill)
c. टीबी रोगी व दवाओं की पूर्ति चाहने वाले (TB selected AND need of medication refill)</td><td>• इनका 3 दिन के भीतर-भीतर व्यक्तिगत फॉलो-अप किया जाना/सहायता दिया जाना सुनिश्चित करें</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>देखभाल की आवश्यकता वाले लाभार्थी (groups that need care):
a) गर्भवती महिलायें
b) 70 वर्ष या अधिक आयु वाले
c) 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशु</td><td>• इनका 7 दिन के भीतर-भीतर व्यक्तिगत फॉलो-अप किया जाना/सहायता दिया जाना सुनिश्चित करें</td></tr>
</table></td><td>ब्लॉक/सेक्टर नोडल अधिकारी/ कंटेनमेंट जोन चिकित्सा अधिकारी</td></tr>
</table>

क्रं सँ.	प्रक्रिया	जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति
3.	सर्वे टीम सदस्य नियमानुसार लिसा एप के माध्यम से हाई रिस्क लाभार्थियों का व्यक्तिगत फॉलो-अप करें सर्वेक्षण मार्गदर्शिका (मिशन लिसा मोबाईल एप उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका) अनुलग्नक -1 में दी गई है	सर्वे टीम
4.	सर्वेक्षकों द्वारा रेफर किए गए हाई रिस्क मामलों को कंटेनमेंट ज़ोन के चिकित्सा अधिकारी (डॉक्टर) द्वारा आवश्यकता अनुसार: • जाँच की जाए • सैम्पल लिए जाएँ (कोविड-19 जाँच हेतु) • उच्च स्वास्थ्य सुविधा पर रेफर किया जाए	सेक्टर/कंटेनमेंट जोन चिकित्सा अधिकारी/ MOIC
5.	**फॉलो अप की निगरानी:** • सुनिश्चित करें कि सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में व्यक्तिगत फॉलो-अप सुचारू रूप से व समय पर किए जा रहे हैं • सर्वेक्षक द्वारा अति जोखिम वाले / सिम्प्टमेटिक मामलों का रेफरल सुनिश्चित करें • रेफर किए गए मामलों का चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार फॉलो-अप किया जाए	ब्लॉक/सेक्टर नोडल अधिकारी/ कंटेनमेंट जोन चिकित्सा अधिकारी